न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 10/2019

अपीलकर्ता		उतरदातागण
1 ओमप्रकाश 2 महेन्द्र कुमार 3 रामचन्द पिसरान किशनलाल जाति माली निवासी बाडमेर मगरा हाल हमीरपुरा तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर 2 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र किशनलाल 3 मोहनलाल पुत्र किशनलाल फौत के कायम मुकाम 3/1 तनवीर पुत्र मोहनलाल 3/2 मोहनीदेवी पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी बाडमेर मगरा हाल निवासी हमीरपुरा बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री नृसिंह सोलंकी, वकील अपीलकर्ता।
2. श्री ललित सोलंकी, वकील उतरदाता संख्या 02, 3/1 व 3/2।

आदेश

दिनांक 08/03/22

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं उतरदातागण हिन्दु विधि से शासित है। अपीलान्ट एवं उतरदाता संख्या 02 व 03 सगे भाई तथा उतरदाता संख्या 03 के देहान्त होने पर उतरदाता संख्या 03 के वारिशन 3/1 व 3/2 है। अपीलान्ट एवं उतरदाता संख्या 02 व 03 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 292 रकबा 0.02 बीघा खसरा संख्या 293 रकबा 36.12 बीघा कुल रकवा 36.14 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलान्ट एवं उतरदाता संख्या 02 व 03 के पिता किशनलाल का देहान्त दिनांक 10.12.2002 को होने से उनके फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 1908 दिनांक 20.06.2013 को पारित हुआ जिसमे अपीलान्ट को पैतृक भूमि से महरूम रखकर उतरदाता संख्या 02 से 03 व उनकी माता के नाम से उतरदाता संख्या 01 द्वारा नामान्तकरण पारित किया गया, जो अनूचित है। हिन्दु उतराधिकार अनिधिनियम की धारा 08 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार अपीलान्ट वैद्य एवं विधिक वारिश होने से अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण पारित किया जाना था। उक्त फौतेदगी नामान्तकरण उतरदाता संख्या 02 ने उतरदाता संख्या 01 से मिलावट कर उतरदाता संख्या 02 से 03 व उनकी माता के नाम नामान्तकरण संख्या 1908 दिनांक 20.06.2013 स्वीकृत करवाया गया। जबकि उतरदाता संख्या 02 से 03 व उनकी माता के साथ अपीलान्ट का नाम भी नामान्तकरण पारित किया जाना था।

वकील अपीलकर्ता द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 1908 दिनांक 20.06.2013 का ज्ञान अपीलान्ट को अपील दर्ज करने से 15 दिन पूर्व अपने खेत की बुवाई हेतु राज्य सरकार से बीजों की मिलने वाली रकम की जानकारी लेने हेतु हल्का पटवारी बाडमेर आगोर से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने उक्त नामान्तकरण की जानकारी दी । लिहाजा अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर विरासत का नामान्तकरण संख्या 1908 की नकल दिनांक 29.07.2019 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उक्त आलोच्य नामान्तकरण का ज्ञान हुआ। उक्त ज्ञान होने पर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार कर अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत म्याद में सुमार करने का निवेदन किया।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अपील धारा 05 परिसीमा अधिनियम म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील उतरदाता संख्या 02, 3/1 व 3/2 ने अपील में अंकित वंशवृक्ष सही होना स्वीकार किया तथा किशनलाल के देहान्त दिनांक 10.02.2002 को होने से फौतगदी नामान्तकरण संख्या 1908 दिनांक 20.06.2013 को भरा गया जबकि दिनांक 20.06.2013 से पूर्व मृतक की पत्नी लेहरों देवी का दिनांक 15.07.2008 को तथा किशनलाल के पुत्र मोहनलाल (उतरदाता संख्या 2/1 व 2/2 के पिता) का दिनांक 11.07.2011 को देहान्त हो चुका था। उक्त नामान्तकरण भरा गया जो अवैधानिक है तथा मृतकों के नाम नामान्तकरण पारित किया जाना अनूचित है। लिहाजा अपीलान्टगण की अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 1908 दिनांक 20.06.2013 खारिज किया जाकर किशनलाल के वैध वारिशान की जांच कर नामान्तकरण पारित किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलान्टगण के पिता तथा उतरदाता संख्या 02 व 03 के पिता किशनलाल के देहान्त दिनांक 10.02.2002 को होने से फौतगदी नामान्तकरण संख्या 1908 दिनांक 20.06.2013 को भरा गया, जिसमे अपीलान्टगण का नाम खातेदारी में दर्ज नही किय गया जबकि दिनांक 20.06.2013 से पूर्व मृतक की पत्नी लेहरों देवी का दिनांक 15.07.2008 को तथा किशनलाल के पुत्र मोहनलाल (उतरदाता संख्या 2/1 व 2/2 के पिता) का दिनांक 11.07.2011 को देहान्त हो चुका था। वकील उतरदातागण ने भी निवेदन किया है कि उक्त नामान्तकरण भरा गया जो अवैधानिक है तथा मृतकों के नाम नामान्तकरण पारित किया जाना अनूचित है। लिहाजा अपीलान्टगण की अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 1908 दिनांक 20.06.2013 खारिज किया जाकर किशनलाल के वैध वारिशान की जांच कर नामान्तकरण पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है तथा अपील स्वीकार की जाकर मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 292 रकबा 0.02 बीघा खसरा संख्या 293 रकबा 36.12 बींघा कुल रकबा 36.14 बीघा भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 1908 दिनांक 20.06.2013 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाडमेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 292 रकबा 0.02 बीघा खसरा संख्या 293 रकबा 36.12 बीघा कुल रकबा 36.14 बीघा भूमि में किशनलाल के वारिशान की जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तद्नुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 08/09/22 को सरें इजलास सुनाया गया।